

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 25 नवम्बर, 2011

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत मैन्दोली-परिन्दा-बौठा मोटर मार्ग विस्तार डेरियाखाल तक नवनिर्माण हेतु प्रथम चरण के कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा पत्र संख्या 4997/36(3)याता0-पर्व0/11 दिनांक 29.07.2011 द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र लैन्सडौन के अन्तर्गत मैन्दोली-परिन्दा-बौठा मोटर मार्ग विस्तार डेरियाखाल तक नवनिर्माण कार्य लम्बाई 4.00किमी0 हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए, इस हेतु प्रथम चरण के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये धनराशि ₹50.32 लाख की लागत के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त पाई गयी औचित्यपूर्ण लागत ₹50.32 लाख (₹ पच्चास लाख बत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में व्यय हेतु ₹ 0.30 लाख (₹ तीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0-1764/111(2)/10-17 (सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही हो, तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित किया जाय।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत रामस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

क्रमशः 2/-

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
ग्राम्य एवं लो०नि०वि०
लैन्सडौन (गढ़वाल)

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। बजट मैनुअल के संगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(viii) स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(ix) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन०पी०वी०.भूमि अधिग्रहण,यूटीलिटी शिफ्टिंग आदि संबंधी मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22-लेखापीशक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-05 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 वृहत निर्माण कार्य के विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निर्वहन पर रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखापीशक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेंटर- 02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-627/XXVII/(2)/2011 दि०: 23नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या:- 5571 / 111(2) / 11-13(प्रा०आ०) / 2006टी०सी०-I तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय गेटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि. पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/पौड़ी गढ़वाल/लैन्सडौन।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, द्वादश वृत्त, लो०नि०वि० पौड़ी गढ़वाल।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, लैन्सडौन।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रतिभा

(महिमा)
अनु सचिव।

Photo copy Attested

/s/

सहायक अभियन्ता

प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि०

लैन्सडौन (गढ़वाल)